संख्या: 18/2019/69/छप्पन-2019-18/2002

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत चयनित मुरादाबाद हवाई पट्टी के ओ0एल0एस0 सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चिह्नित अवरोधों (11 के0वी0 विद्युत लाइनों) को शिफ्ट करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 385/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मुरादाबाद हवाई पट्टी के ओ०एल०एस० सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चिह्नित अवरोधों (11 के0वी0 विद्युत लाइनों) को शिफ्ट करने हेतु उपलब्ध कराए गए आगणनों की कुल धनराशि रु0 17,50,588/- (रूपए सत्रह लाख पचास हजार पांच सौ अट्ठासी मात्र) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल मुरादाबाद हवाई पट्टी के ओ०एल०एस० सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चिह्नित अवरोधों (11 के0वी0 विद्युत लाइनों) को शिफ्ट करने हेतु उपलब्ध कराए गए आगणनों की कुल धनराशि रु0 17,50,588/- (रूपए सत्रह लाख पचास हजार पांच सौ अट्ठासी मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रु0 17,50,588/- (रूपए सत्रह लाख पचास हजार पांच सौ अट्ठासी मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है|

III. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

IV. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

V. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पी०एफ़०ए०डी० की शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन हो |

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 17,50,588/- (रूपए सत्रह लाख पचास हजार पांच सौ अट्ठासी मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, मुरादाबाद के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को यथासमय आख्या उपलब्ध कराई जायेगी |

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 2(1) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं |

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्याः 18/2019/69(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, मुरादाबाद ।
(4) जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 |
(7) नियोजन अनुभाग-4/ राजस्व अनुभाग-13 |
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।